प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 93/22 दिनांक 21/3/2022

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, 13 (1) (बी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120बी. आई.पी.सी.,
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 403 समय 5.00 P.M.
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 16.03.2022 समय 04.35 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 15.03.2022 समय 12.30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – मौखिक

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **280** किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, परिसर बेंगू जिला चित्तौडढ ।
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता – (गोपनीय) जरिये मुखबीर खास

परिवादी

(1) नाम : –
(2) पिता का नाम : –
(3) आयु : –
(4) राष्ट्रीयता : –
(5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
(6) व्यवसाय : –
(7) पता : –

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री मुकेश कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल मीणा उम्र 42 साल निवासी मकान नम्बर ए.–10, जे.पी. कॉलोनी टोंक फाटक जयपुर हाल उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगु जिला चित्तौडगढ ।
2. श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेंगु जिला चित्तौडगढ ।
3. श्री मोहम्मद असलम कुरैशी पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहीम कुरैशी उम्र 42 साल निवासी व्यापारी मौहल्ला, बस्सी जिला चित्तौडगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कम रजिस्ट्री बाबू कार्यालय तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौडगढ ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	3,00,000 रूपये	दिनांक 15.03.2022 को

जरिये मुखबीर खास से सूचना प्राप्त हुई कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड बेंगू जिला चित्तौडगढ में काफी समय से पदस्थापित होकर उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है तथा उनकी आम शोहरत भी खराब है तथा भ्रष्ट प्रवृती का अधिकारी है तथा बिना लेन–देन के कोई कार्य नही करता है कि शिकायते ब्यूरो को काफी दिनो से प्राप्त हो रही थी जिस पर उक्त शिकायतों का सत्यापन करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय हमराहीयान के उपखण्ड कार्यालय बेंगू में स्थित परिसर की दिनांक 16.03.2022 को आकस्मिक चैकिंग की गई तो सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष की तलाशी के दौरान उसकी टेबल की दराजो से कुल 03 लाख रूपये की संदिग्ध राशि बरामद हुई । उक्त संदिग्ध राशि के बार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ग्राम हरिपुरा के श्री चारभुजा मन्दिर से सम्बन्धित वाद नम्बर 45/2006 के शीघ्र निस्तारण/निर्णय देने की एवज में 03 लाख रूपये रिश्वत राशि श्री शम्भूलाल धाकड से एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा ने ग्राम हरिपुरा के श्री शम्भूलाल धाकड से प्राप्त कर मेरी टेबल की दराजों में रखवाये है। इस प्रकार मौके पर एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा को तलब किया गया तथा संदिग्ध राशि 03 लाख के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उसने उक्त राशि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया अनभिज्ञता जाहिर की जिस पर मौके पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी ने स्वतः ही एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा की उक्त बात का खण्डन करते हुए बताया कि उक्त 03 लाख रूपये की राशि एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री शम्भूलाल धाकड से रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त कर मन्दिर के वाद/प्रकरण का शिघ्र निस्तारण करने की एवज में प्राप्त किये है। इसी प्रकार ज्ञात हुआ कि उक्त कार्यवाही की भनक तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर को लग जाने से वह मौके से फरार हो गया। श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय बेगूं में पदस्थापित होकर रजिस्ट्री बाबू का भी चार्ज है, जो तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर के अधीनस्थ कर्मचारी होकर रिश्वत राशि उसके कब्जे से प्राप्त होने के कारण तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर की संलिप्तता के बगैर भ्रष्टाचार किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर की भूमिका भी उक्त प्रकरण में पूर्णतया संदिग्ध है जो अनुसंधान का विषय है। उक्त रिश्वत राशि 03 लाख रूपये श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कब्जे से बरामद होने से उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ व श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ के विरूद्ध इनके बेगूं उपखण्ड में पदस्थापन के दौरान किए जा रहे भ्रष्ट क्रिया–कलापों के संबंध में परिवाद प्राप्त हुए, उनमें अंकित आरोपों के संबंध में भी गहन अनुसंधान किया जायेगा। इस प्रकार उक्त तीनों आरोपीगण श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ व श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ एवं श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रजिस्ट्री बाबू तहसील कार्यालय बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा एक लोकसेकव होते हुए अपने पद एवं अधिकारों को दुरूपयोग करते हुए आपसी मिलीभगत कर वैध कार्यो की एवज में अवैध पारितोषण प्राप्त कर एक दिवसीय चेक पिरीयड अवधि दिनांक 16.03.2022 को उत्कोचस्वरूप 03 लाख रूपये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करन से उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (बी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 एवं 120बी. आई.पी.सी. का अपराध कारित करना पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य — 3,00,000 रूपये उत्कोचस्वरूप (रिश्वत के रूप में) आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना।

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

दर्ज रहे कि दिनांक 15.03.2022 को जरिये मुखबीर खास से सूचना प्राप्त हुई कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वारा ग्राम हरिपुरा के श्री चारभुजा मन्दिर से सम्बन्धित एक वाद में शीघ्र निस्तारण/निर्णय देने की एवज में करीब 05 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है जिसमें कल दिनांक 16.03.2022 को ग्राम हरिपुरा के निवासी श्री शम्भूलाल धाकड द्वारा 03–05 लाख रूपये रिश्वत राशि के रूप में श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय बेंगू जिला चित्तौडगढ को श्री मोहम्मद असलम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत समय करीब 03.30 पी.एम. के बाद दी जावेगी। मुखबीर खास ने यह भी बताया कि एस.डी.एम. का इस क्षैत्र में खौफ होने के कारण कोई भी सामने आकर कार्यवाही नही कराना चाहता है तथा यह भी बताया कि एस.डी.एम. की आम शोहरत खराब है तथा भ्रष्ट प्रवृती का अधिकारी है तथा बिना लेन–देन के कोई कार्य नही करता है तथा यह भी बताया कि एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा विगत काफी दिनों से बेगू क्षैत्र में पदस्थापित है तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के मार्फत राजस्व के प्रकरणों में पक्षकारों के पक्ष में फैसला देने की एवज में अवैध रिश्वत राशि प्राप्त करने का गौरख धंधा कर रहे है एवं मुखबीर खास ने श्री शम्भूलाल धाकड के हुलिये से भी अवगत कराया। उक्त सूचना का सत्यापन करने हेतु उक्त मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाकर उनके निर्देशानुसार उपखण्ड कार्यालय बेंगू में आकस्मिक चैकिंग करने हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ तथा तलविदा श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर एवं उनके साथ आया स्टाफ श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि0, श्री सुरेश कानि0 एवं श्री करण सिंह कानि0 तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री रामेश्वर लाल जाट वरिष्ठ अध्यापक, स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल गंगरार जिला चित्तौडगढ एवं श्री महेन्द्र सिंह राणावत, अध्यापक लेवल–1, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कोजून्दा, ब्लॉक गंगरार जिला चित्तौडगढ मय प्राईवेट वाहन मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक के एवं ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के सदस्यगण श्री राजेश कुमार आचार्य, पुलिस उप निरीक्षक, श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्रीमती टीना महिला कानि0 एवं श्रीमती आशा महिला कानि0 मय प्राईवेट वाहन के एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0 व श्री खालिद हुसैन कानि0 तथा श्री सुनिल कुमार कानि0 स्वयं की मोटर साईकिल से एवं श्री मान सिंह कानि0 को सरकारी मोटर साइकिल से बजानिब बेंगू जिला चित्तौडगढ के लिये रवाना होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा बेंगू स्थित नये बस स्टेण्ड के पास पहूंच सभी के वाहनों को एक तरफ साईड में रूकवाकर खडा करवाया गया तथा समय करीब 03.15 पी.एम. पर ब्यूरो के सभी स्टाफ एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को उपखण्ड कार्यालय बेंगू के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए श्री शम्भूलाल धाकड के रिश्वत राशि देने हेतु उपखण्ड कार्यालय में आने एवं श्री मोहम्मद असलम के कक्ष में जाने एवं एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा से मिलने से सम्बन्धित घटना की ताईद हेतु खडे किये गये तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय अन्य स्टाफ के सदस्यगण उक्त कार्यालय के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थिति को छूपाकर लेन–देन होने का इन्तजार करने लगा ।

कुछ समय बाद श्री शम्भूलाल धाकड एस.डी.एम. कार्यालय में आया जिसके बारे में श्री मान सिंह कानि0 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना दी गई तथा मान सिंह ने यह भी बताया कि मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिया का व्यक्ति श्री शम्भूलाल धाकड के हाथ में एक थैली है जिसमें नोटो की गड्डिया रखी हुई है । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री मान सिंह कानि0 एवं अन्य स्टाफ के स्दस्यों को उक्त श्री शम्भूलाल धाकड की निगरानी रखने की हिदायत दी गई । कुछ समय बाद श्री मान सिंह कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री शम्भूलाल धाकड एस.डी.एम कार्यालय से बाहर निकल रहा है तथा जो थैली उक्त नोटों से भरी हुई लेकर गया था जबकि उक्त थैली उसके हाथ में होकर खाली है । पूर्व योजनानुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं अन्य ब्यूरो स्टाफ के सदस्यगणों के साथ एस.डी.एम. कार्यालय बेंगू में प्रवेश किया जहां पर निचे ही बरामदे में बांई ओर सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष में प्रवेश किया तथा उसे अपना तथा हमराहीयान का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा

तो उसने अपना नाम श्री मोहम्मद असलम कुरैशी पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहीम कुरैशी उम्र 42 साल निवासी व्यापारी मौहल्ला, बस्सी जिला चित्तौडगढ हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कम रजिस्ट्री बाबू कार्यालय तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौडगढ होना बताया। इस पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी को श्री शम्भूलाल धाकड से रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूछा तो वह घबरा गया तथा कहा कि मैने कोई रिश्वत राशि नही ली है । जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान से श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष की तलाशी लेने हेतु कहा जिस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष स्थित टेबल की प्रथम दराज मे से दो–दो हजार एवं पांच–पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डिया निकालकर पेश की तथा टेबल की द्वितीय दराज से दो–दो हजार एवं पांच–पांच सौ रूपये के नोटो की गड्डिया निकालकर पेश की जिस पर उक्त नोटो को दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनो गवाहान ने प्रथम दराज में मिले नोटों को गिनकर बताया कि 02–02 हजार रूपये के 50 नोट तथा 500–500 रूपये के 100 नोट कुल 01 लाख 50 हजार रूपये होना बताया तथा द्वितीय दराज में मिले नोटो को गिनकर बताया कि 02–02 हजार रूपये के 07 नोट तथा 500–500 रूपये के 270 नोट एवं 200–200 रूपये के 05 नोट कुल 01 लाख 50 हजार रूपये होना बताया । उक्त नोटों के बारें श्री मोहम्मद असलम को पूछा तो उसने कहा कि साहब गलती हो गई है, उक्त नोट एस.डी.एम. साहब श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा श्री शम्भूलाल धाकड से रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त कर मेरी टेबल की दोनो दराज में रखवाये थे । इसके बाद श्री मोहम्मद असलम को तसल्ली देकर सम्पूर्ण मामले की सच्चाई बताने के बारे में बताने को कहा तो श्री मोहम्मद असलम कुरैशी ने बताया कि हरिपुरा का एक व्यक्ति श्री शम्भूलाल धाकड है, जिसकी चारभुजा मन्दिर के नाम से एक फाईल एस.डी.एम. कोर्ट में चल रही है । एस.डी.एम. कोर्ट में, उस फाईल से रिलेटेड शम्भूलाल धाकड की एस.डी.एम. साहब से पहले कोई बात हुई थी तथा इनके पहले भी कोई डिलींग हुई थी । श्री शम्भूलाल धाकड आज मेरे पास पैसों की लेन–देन के लिये साढे तीन–पौनें चार बजे के लगभग आया और आकर मुझे कहा कि मुझे एस.डी.एम. साहब से मिलना है मेरी फाईल की बात हुई थी और उसमें लेन–देन की बात हुई थी, उसमें आज पेशी है, उससे रिलेटेड मुझे साहब से बात करनी है, मैनें उसको बोला ठीक है, मैं एस.डी.एम. साहब से बोलता हूं । फिर मैने एस.डी.एम साहब से बोला था कि चारभुजा मन्दिर वाली जो फाईल थी उस फाईल में आपकी जो लेन–देन से सम्बन्धित बात हुई थी जिस पार्टी से बात हुई थी वो पार्टी आ गई है । आप ने उस पार्टी को आज बुलाया था जिसमें आपके तीन लाख में सौदा तय हुआ था, जिस पर एस.डी.एम. साहब ने मुझे कहा कि ठीक है, तो आप उसको अपने कक्ष मे बैठाओं, मैं आता हूं, जिस पर मुश्किल से 02 या 03 मिनट बाद एस.डी.एम. साहब मेरे कक्ष में आये थे और मेरे जो पंजियन वाला जो कक्ष है उसमें दोनो एस.डी.एम. साहब और शम्भूलाल धाकड आये तथा जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कक्ष है उसमें चले गये और अन्दर से गेट बन्द करने से पहले मुझे और मेरे ऑपरेटर जगदीश चन्द्र सेन को बोल दिया था कि बाहर चले जाओं और उन्होने अन्दर से गेट बन्द कर लिया, गेट बन्द करने के बाद मैं तो बरामदे में इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि मेरे तो कक्ष में एस.डी.एम. साहब बैठ गये थे और वो शम्भूलाल धाकड भी बैठा था । इसके उपरान्त लगभग 10–15 मिनट बाद एस.डी.एम. साहब बाहर आये, बाहर आके उन्होने मुझे आवाज लगाई, मैं तहसीलदार जी का जो चेम्बर है वहां खडा था, मैं आया इनके पास में और फिर एस.डी.एम. साहब मुझे उनके आवास के पीछे की तरफ लेके गये और मुझे ये बोला कि मन्दिर वाले मामले में काम हो गया है, ठीक है, लेन–देन वाला जो भी काम है, वो काम हो गया है, और पार्टी सेटिस्फाईड है और उसके बाद में एस.डी.एम. साहब ने मुझे कहा कि मैं बंगले पर जाकर ड्रेस चेंज करके वापस आता हूं और तुम्हें वॉट्स–अप कॉल करके बताता हूं, क्या करना है आगे, ठीक है । मैं तो कुछ समझ नही पाया, ठीक है सर आप कॉल कर देना। इसके उपरान्त एस.डी.एम. साहब ने मुझे ये भी कहा था कि मेरी बात हो गई है पार्टी से और मेरे जो लेन–देन वाला जो मामला था वो मैने ले लिये है पैसे और मैने आपकी ड्रॉवर में रख दिये है। मैं आके आपको वॉट्स–अप कॉल करूंगा और फिर बताता हूं आपको उसका क्या करना है । इसके उपरान्त एस.डी.एम. साहब अपने निवास की ओर चले गये और मुझे शम्भूलाल बाहर ही मिला, चैनल गेट के वहीं पर, जिस पर श्री शम्भूलाल ने मुझे यह कहा कि मेरा काम हो गया है और अगर आपको कभी और मेरी जरूरत पडे और कभी कोई काम वगैरा हो तो मेरे ये मोबाईल नम्बर

94611–40574 है आप मुझे इस पर कॉल कर देना और मुझे बता देना, जो भी काम हो, मैने भी उसके नम्बर ले लिये थे तथा जब श्री शम्भूलाल धाकड आया था तो उसके हाथ में एक थैली थी और थोडी मोटी लग रही थी, भरी हुई लग रही थी, जब वो बाहर निकला जैसे वो थैली खाली होती है वैसे लग रही थी । इसके उपरान्त श्री शम्भूलाल धाकड ने मुझे बताया कि पैसे के लेन–देन के लिये जो बात हुई थी, तीन लाख की वो मैने दे दिये एस.डी.एम. साहब को।

इसके उपरान्त उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि 03 लाख रूपये को संदिग्ध राशि होने से वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् श्री मोहम्मद असलम कुरैशी से उक्त स्पष्टीकरण बाबत् पृथक से बयान स्पष्टीकरण(पूछताछ नोट) लिया जाकर शामील पत्रावली किया जावेगा, इसी के साथ श्री मोहम्मद असलम कुरैशी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछा गया कि उक्त शम्भूलाल से सम्बन्धित वाद की पत्रावली कहां मिलेगी जिस पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी ने बताया कि श्री शम्भूलाल के प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के रीडर श्री मुश्ताक खान के पास मिलेगी जिस पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 श्री मुश्ताक खॉन के पास भेजकर उक्त पत्रावली के साथ श्री मुश्ताक खॉन को उपस्थित होने हेतु कहा गया। इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान एवं श्री मोहम्मद असलम कुरैशी को साथ उपखण्ड अधिकारी के सरकारी आवास पर पहूंचा तथा उपखण्ड अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा को साथ लेकर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष में आये। इसके उपरान्त श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी से उक्त राशि 03 लाख रूपये के सम्बन्ध में पूछा गया तो श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी ने उक्त रिशवत राशि के सम्बन्ध में अनभिज्ञता होना बताया जिस पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी ने मौके पर श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि उक्त रिश्वत राशि 03 लाख रूपये श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी ने उनके कार्यालय में चल रहे एक प्रकरण में शीघ्र निर्णय/निस्तारण करने के लिये है तथा आज श्री शम्भूलाल धाकड निवासी हरिपुरा आज आया था और मेरे से मिला था और श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी से मिलने के लिये मुझे कहा था जिस पर मै ही श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी को उनके कार्यालय से बुलाकर नीचे लाया था और मेरे कक्ष मे ही बैठकर श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी एवं श्री शम्भूलाल धाकड के मध्य रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्तालाप हुई थी और वार्तालाप के दौरान ही श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी ने रिश्वत राशि प्राप्त की थी, रिश्वत राशि लेने के उपरान्त मुझे कहा था कि आज उक्त प्रकरण में मैने रिश्वत राशि से सम्बन्धित काम हो चुका है के सम्बन्ध में बताया । उक्त वार्तलाप के कुछ अंश की विडियों रिकॉर्डिंग श्री दलपत सिंह हैड कानि0 के मोबाईल में की गई । इस दौरान मौके पर ही श्री मुश्ताक खान रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ उपस्थित आया तथा ग्राम हरिपुरा से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली पेश की जिस पर उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में श्री मुश्ताक खान से पूछताछ की गई तो श्री मुश्ताक खान ने बताया कि "कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ के वाद संख्या 45/06 दिनांक 22.04.2006 व अनवान देवी लाल पिता श्री परथु धाकड निवासी हरिपुरा ठाकुर जी मन्दिर ग्राम हरिपुरा प्रबन्धन कमेटी वगैरा बनाम मांगीलाल पिता प्यारचन्द धाकड वगैरा निवासी हरिपुरा से सम्बन्धित पत्रावली पेज संख्या 01 से 297 तक मूल है तथा उक्त प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली में आज दिनांक 16.03.2022 को तारीख नियत थी चुंकि आज अधिवक्ताओं की हडताल होने से प्रक्रिया अनुसार मन् रीडर द्वारा तारीख तब्दील कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.03.2022 नियत की है । उक्त मामला आराजी नम्बर 243 रकबा 0.4500 हेक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के नाम कमी कर रकबा मन्दिर ठाकुर श्री चारभुजा जी के स्थान हरिपुरा के नाम अंकित किये जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी करने से सम्बन्धित वाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू में विचाराधीन है। जिस पर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली पेंज संख्या 01 से 297 का अवलोकन कर उक्त मूल पत्रावली को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया ।

इसके उपरान्त श्री जगदीश चन्द्र सैन कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उप पंजीयन बेंगू जिला चित्तौडगढ को तलब किया गया जिस पर श्री जगदीश चन्द्र सैन कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) से उसका परिचय प्राप्त कर उसे पूछने पर उसने बताया कि एस.डी.एम. साहब आज मेरे कक्ष मे आये और श्री शम्भूलाल धाकड से मिले और दोनो ही उक्त कक्ष से बाहर

आकर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के कक्ष में चले गये थे और गेट बन्द करके उक्त दोनो ने आपस में रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बन्ध में वार्ता की थी । कुछ समय बाद एस.डी.एम. साहब उक्त कक्ष से बाहर आकर चले गये थे ।

इसके उपरान्त श्री सतीश कुमार चौधरी उर्फ गौतम चौधरी उम्र 42 साल निवासी झंवरो की गली बेगूं जिला चित्तौडगढ हाल अधिवक्ता, कार्यालय पंचायत समिति बेंगू के पास, जयनगर रोड, दुकान नम्बर 05, बेंगू जिला चित्तौडगढ को तलब किया गया था जिस पर श्री सतीश कुमार चौधरी उर्फ गौतम चौधरी से उसका परिचय प्राप्त कर उक्त श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ के विरूद्व की गई आकस्मिक चैकिंग के सम्बन्ध में मामले से अवगत करा कर पूछा तो श्री सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि मेरे से श्री शम्भूलाल धाकड ने काफी समय पूर्व मुझे बताया कि उनके गांव हरिपुरा के मन्दिर की भगवान की भूमि का विवाद एस. डी.एम. कोर्ट में चल रहा है, जो काफी समय से लम्बित है, जल्दी निपटारें के लिये राय मांगी थी जिस पर मैनें एस.डी.एम. ऑफिस में कार्यरत् श्री मोहम्मद असलम जी से श्री शम्भूलाल धाकड को मिलवाया था तथा इनके मामले में शीघ्र निपटारें के लिये मदद हेतु कहा था । इसके उपरान्त इनके जो भी वार्तालाप लेन–देन के सम्बन्ध हुई है जो श्री मोहम्मद असलम कुरैशी एवं श्री शम्भूलाल धाकड एवं एस.डी.एम. साहब के स्तर पर इनके आपस में ही हुई है उक्त लेन–देन के सम्बन्ध मुझे कोई जानकारी नही है, के सम्बन्ध में बताया ।

इसके उपरान्त उक्त आकस्मिक चैकिंग दौरान ही श्री मोहम्मद असलम कुरैशी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कम रजिस्ट्री बाबू कार्यालय तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौडगढ तथा श्री जगदीश चन्द्र सैन पुत्र श्री बालुराम जी सैन उम्र 28 साल जाति नाई निवासी ग्राम डोराई पुलिस थाना एवं तहसील बेंगू जिला चित्तौडगढ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), कार्यालय उप पंजीयक बेंगू जिला चित्तौडगढ का पृथक–पृथक पूछताछ नोट तैयार कर उक्त पूछताछ नोट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किये गये तथा उक्त श्री मोहम्मद असलम कुरैशी एवं श्री जगदीश चन्द्र सैन के पूछताछ नोटों की दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री दलपत सिंह हैड कानि0 के मोबाईल में ऑडियों रिकॉर्डिंग की गई जिसकी पृथक से मूल व डब सीडीयां तैयार की गई तथा पैसे की बरामदगी के दौरान तैयार की विडियों रिकॉर्डिंग तथा श्री मोहम्मद असलम कुरैशी एवं श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी की मौके पर रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछताछ करने की विडियों रिकॉर्डिंग की भी मूल एवं डब सीडीया तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा वजह सबूत कब्जे ब्यूरो ली गई । उपरोक्त सभी मूल सीडीयों को कपडे की थैली में पृथक–पृथक सीलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

श्री मोहम्मद असलम कुरैशी द्वारा मौके पर पूछताछ नोट के अन्तर्गत दिये गये स्पष्टीकरण से पाया गया कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा श्री शम्भूलाल धाकड से 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि स्वयं द्वारा ही ली जाकर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी की टेबल की दराजों रखवाये गये थे । श्री मोहम्मद असलम कुरैशी एवं श्री जगदीश चन्द्र सैन कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा मौके पर ही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बताया था कि श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी बेंगू ने हम दोनो को कमरे से बाहर निकालकर श्री शम्भूलाल धाकड को सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष में अन्दर से बन्द कर लिया था जिससे स्पष्ट है कि श्री मुकेश कुमार मीणा उपखण्ड अधिकारी बेंगू द्वारा ही श्री शम्भूलाल धाकड से अपने कक्ष में रिश्वत राशि नही लेकर अपने आप को कानून से बचाने की नियत से सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कक्ष को बन्द करके चुपके से लिये गये । श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मौके पर दिया गया स्पष्टीकरण जो कि पूछताछ नोट के अन्तर्गत भी लिखित में अंकित किया गया था जिसके मुख्य अंश निम्नानुसार है : –

श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मौके पर बताया गया कि ''हरिपुरा का कोई शम्भूलाल धाकड है, चारभुजा मन्दिर के नाम से कोई फाईल चल रही है, वाद चल रहा है एस.डी.एम. कोर्ट में, उस फाईल से रिलेटेड शम्भूलाल धाकड की एस.डी.एम. साहब से पहले कोई बात हुई होगी, पहले इनकी कोई डिलींग हुई थी । शम्भूलाल धाकड आया मेरे

पास । पैसों की लेन–देन, ये आया मेरे पास आज ही साढे तीन, पौनें चार बजे के लगभग, इसने आकर मुझे कहा कि मुझे एस.डी.एम. साहब से मिलना है मेरी वो जो फाईल की बात हुई है, लेन–देन की जो बात हुई है, आज पेशी है, उससे रिलेटेड मुझे साहब से बात करनी है, मैनें उसको बोला भई ठीक है, मैं एस.डी.एम. साहब से बोलता हूं । फिर मैने एस.डी.एम साहब से बोला, क्या सर वो चारभुजा मन्दिर वाली जो फाईल थी उस फाईल में आपकी जो लेन–देन वाली बात हुई थी जिस पार्टी से वो पार्टी आ गई है । आप ने जिस पार्टी को बुलाया था । तीन लाख में उसकी बात हुई थी । तीन लाख में सौदा तय हुआ था, तो एस.डी.एम. साहब ने कहा ठीक है, तो अपने कक्ष मे ही बैठाओं मैं आता हूं, मुश्किल से 02 या 03 मिनट में मेरे कक्ष में आ गये थे । मैं मेरे जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कक्ष है उसमें बैठा था, हां पंजीयन वगैरा होता है मैं उसमें भी बैठता हूं । जैसे एस.डी.एम. साहब आये थे मेरे जो पंजीयन वाला जो कक्ष है उसमें, एस.डी.एम. साहब और ये जो शम्भूलाल धाकड है दोनो, ये दोनो मेरा जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी का कक्ष है उसमें चले गये और अन्दर से गेट बन्द करने से पहले मुझे और मेरे ऑपरेटर जगदीश चन्द्र सेन को, हम दोनो को बोल दिया था कि बाहर चले जाओं, और उन्होने अन्दर से गेट बन्द कर लिया, गेट बन्द करने के बाद में । सहायक प्रशासनिक अधिकारी वाला जो कक्ष है उसको बन्द किया था । हां–हां, फिर उससे लेनदेन की जो बात की वो सहायक प्रशासनिक अधिकारी वाला जो कक्ष है उसमें उस बन्दे से, शम्भूलाल धाकड से बात की । हां मेरे को बाहर निकाल दिया । नही मैं तो बरामदे में इधर उधर घू रहा था, क्योंकि मेरे तो कक्ष में एस.डी.एम. साहब बैठ गये थे और वो बन्दा भी बैठा था तो वो बैठे थे तो मैं मेरे कक्ष में बैठ ही नही सकता था, ये बात कर रहे थे उसमें फिर लगभग 10–15 मिनट बाद एस.डी.एम. साहब बाहर आये, बाहर आके उन्होने मुझे आवाज लगाई, मैं तहसीलदार जी का जो चेम्बर है वहां खडा था, वहां से मुझे आवाज लगाई, मैं आया इनके पास में और फिर एस.डी.एम. साहब मुझे इनके आवास के पीछे की तरफ लेके गये और मुझे ये बोला कि मन्दिर वाले मामले में काम हो गया है, ठिक है, लेन–देन वाला जो भी काम है, वो काम हो गया है, और पार्टी सेटिस्फाईड है, और उसके बाद में एस.डी.एम. साहब ने मुझे कहा कि मैं बंगले पर जाकर ड्रेस चेंज करके वापस आता हूं और तुम्हें कॉल करके बताता हूं, क्या करना है आगे, ठीक है । मैं तो कुछ समझ नही पाया, ठीक है सर, ठीक है सर आप कॉल कर देना, फिर मैं जब वापस आया । हां एस.डी.एम. साहब ने ये कहा था कि मेरी बात हो गई है पार्टी से, और मेरे जो लेन–देन वाला जो मामला था वो मैने ले लिये है पैसे, और मैने आपकी ड्रॉवर में रख दिये है । क्या करना है उसका जो मैं ड्रेस चेंज करके आता हूं और फिर मैं आके कॉल करता हूं आपको, कॉल करूंगा और वॉट्स–अप कॉल करूंगा और फिर बताता हूं आपको उसका क्या करना है, ठीक है सर । उसके बाद मैं फिर वापस आया, तो शम्भूलाल मुझे क्या बाहर ही मिला, चैनल गेट के वहीं पर, शम्भूलाल ने मुझे यह कहा कि मेरा काम हो गया है, और अगर आपको कभी और मेरी जरूरत पडे और कभी कोई काम वगैरा हो तो मेरे ये मोबाईल नम्बर है आप मुझे इस पर कॉल कर देना, और मुझे बता देना, जो भी काम हो, मैने भी उसके नम्बर ले लिये । उसके हाथ में थैली थी, और जब वो बाद में आया तब उसके हाथ में, पहले जब आया था तो उसके हाथ में थैली थोडी मोटी लग रही थी, भरी हुई लग रही थी, जब वो बाहर निकला जैसे वो थैली खाली होती है वैसे लग रही थी । पैसे के लेन–देन के लिये उसने कहा कि जो बात हुई थी तीन लाख की वो मैने दे दिये एस.डी.एम. साहब को, अब एस.डी. एम. साहब ने ड्रॉवर की बोला जो मैं भी समझ नही पाया, मैने कहा ठीक है, ठीक है सर, आप जब वापस पधार जायें तब कॉल कर दिजियेगा, और जो ड्रॉवर मे है, क्या है, उसकी बता देना । उसके बाद मैं मेरे सेक्शन में आके बैठ गया, फिर एसीबी की टीम आ गई, हां यही बात है, । श्री गौतम चौधरी एडवोकेट, एस.डी.एम. साहब को पार्टीयों से मिलवाते है, एस.डी.एम. साहब भी लोगो से प्राप्त रिश्वत राशि को गौतम चौधरी एडवोकेट के पास रखवाते है । आज भी पहले मैं ये पता करने गया था कि शम्भू लाल धाकड के रूपये भी एस.डी.एम. साहब ने कहीं श्री गौतम चौधरी एडवोकेट के पास तो नही रखवा दिये है ।

उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान एवं श्री मुकेश कुमार उपखण्ड अधिकारी, श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री जगदीश चन्द्र कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं श्री सतीश चौधरी उर्फ गौतम चौधरी को साथ लेकर

अग्रिम कार्यवाही की लिखापढी हेतु पुलिस थाना बेंगू पर पहूंच अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की गई ।

इसके उपरान्त श्री सतीश कुमार चौधरी उर्फ गौतम चौधरी उम्र 42 साल निवासी झंवरो की गली बेगूं जिला चित्तौडगढ हाल अधिवक्ता, कार्यालय पंचायत समिति बेंगू के पास, जयनगर रोड, दुकान नम्बर 05, बेंगू जिला चित्तौडगढ का पृथक पूछताछ नोट तैयार उक्त पूछताछ नोट पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान व सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामील पत्रावली किये गये ।

इसके उपरान्त श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ के पास उपलब्ध दो मोबाईल फोन को चेक किया गया तो श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ के पास एक मोबाईल फोन एप्पल आई फोन कम्पनी का होकर लाईट ब्ल्यू है तथा उक्त एप्पल आई फोन में एयरटेल कम्पनी सीम लगी हुई है जिसके मोबाईल नम्बर 99289–46217 है उक्त एप्पल आई फोन कम्पनी कम्पनी के आई.एम.ई.आई नम्बरों में डिवाईस इर्न्फोमेशन के रूप में 89049032006008882600107835009196 का अंकन होकर उक्त मोबाईल फोन के आई.एम.ई.आई नम्बर प्रथम 358598932247159 एवं द्वितीय 358598932240766 का अंकन है तथा एम.ई.आई.डी. के रूप में 35859893224715 का अंकन है ।

इसी प्रकार श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वितीय मोबाईल फोन वीवों कम्पनी का होकर ब्ल्यू है तथा उक्त वीवों फोन में जीओ कम्पनी की सीम लगी हुई है जिसके मोबाईल नम्बर 81122–67150 है उक्त वीवों फोन कम्पनी के आई.एम.ई.आई प्रथम 867205044667332 एवं द्वितीय 867205044667324 का अंकन है । उक्त दोनो मोबाईल फोन को आकस्मिक चैकिंग में आवश्यकता होने से वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये ।

इसके उपरान्त श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास उपलब्ध दो मोबाईल फोन को चेक किया गया तो श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पास उपलब्ध एक मोबाईल फोन वीवों कम्पनी का एवं दुसरा मोबाईल फोन ओप्पों कम्पनी का है तथा वीवों फोन में वोडाफोन एवं एयरटेल कम्पनी की सीम लगी हुई है जिसके क्रमश मोबाईल नम्बर 87692–45830 एवं 99289–58404 की सीम लगी हुई है तथा ऑप्पों फोन में जीओ कम्पनी की सीम लगी हुई है जिसके मोबाईल नम्बर 7877443661 की सीम लगी हुई है उक्त ऑप्पों फोन के आई.एम.ई.आई प्रथम 865322059051138 एवं द्वितीय 865322059051120 का अंकन है । उक्त दोनो मोबाईल फोन को आकस्मिक चैकिंग में आवश्यकता होने से वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये ।

इसके उपरान्त उक्त आकस्मिक चैकिंग के क्रम में लिखा–पढी पूर्ण कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर आरोपी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ को लेकर पूछताछ हेतु पहूंचे ।

दिनांक 17.03.2022 को दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ से पूछताछ करने पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई प्रत्युत्तर नही दिया गया एवं सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान मौन रहे । इसके बाद श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के फोन को चेक किया गया तो वॉट्स–अप कॉल के अन्दर कॉल रजिस्टर में श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वारा समय करीब 03.46 मिनट पर वॉट्स–अप कॉल करके श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लगभग 16 सैकण्ड तक वार्ता की गई । इसके उपरान्त श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ से समय करीब 04.09 पी.एम. पर वॉट्स–अप कॉल करके लगभग 13 सैकण्ड तक वार्ता की गई । इसके बाद श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वारा श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल फोन पर समय करीब 04.23 पी.एम. पर दो बार मिस्ड् वॉट्स–अप कॉल किये गये थे । इसके उपरान्त श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ से समय करीब 04.26 पी.एम. पर वॉट्स–अप कॉल करके लगभग 14 सैकण्ड तक वार्ता की गई ।

इसी प्रकार श्री गौतम चौधरी द्वारा श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मोबाईल फोन पर समय करीब 03.22 पी.एम. 12 सैकण्ड एवं 04.20 पी.एम पर 12 सैकण्ड पर दो बार वॉट्स–अप कॉल किये गये थे ।

उक्त वॉट्स–अप कॉल का स्क्रीन शूट लिये जाकर उक्त स्क्रीन शूट के प्रिन्ट निकालकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिये गये । वॉट्स–अप कॉल के अवलोकन से पाया गया कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वारा श्री शम्भूलाल धाकड से रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरान्त श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी से वॉट्स–अप कॉल करके वार्ता की गई तथा मौके पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की भी ताईद होती है । इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वारा श्री शम्भूलाल धाकड से 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि स्वयं के द्वारा प्राप्त कर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी की टेबल की दराजों में रखवाये गये थे ।

इस प्रकार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह द्वारा अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया कि दिनांक 15.03.2022 को जरिये मुखबीर खास से सूचना प्राप्त हुई कि श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेंगू जिला चित्तौडगढ द्वारा ग्राम हरिपुरा के श्री चारभुजा मन्दिर से सम्बन्धित एक वाद में शीघ्र निस्तारण/निर्णय देने की एवज में करीब 05 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही है जिसमें कल दिनांक 16.03.2022 को ग्राम हरिपुरा के निवासी श्री शम्भूलाल धाकड द्वारा 03–05 लाख रूपये रिश्वत राशि के रूप में श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय बेंगू जिला चित्तौडगढ को श्री मोहम्मद असलम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के मार्फत समय करीब 03.30 पी.एम. के बाद दी जावेगी । मुखबीर खास ने यह भी बताया कि एस.डी.एम. का इस क्षैत्र में खौफ होने के कारण कोई भी सामने आकर कार्यवाही नही कराना चाहता है तथा यह भी बताया कि एस.डी.एम. की आम शोहरत खराब है तथा भ्रष्ट प्रवृती का अधिकारी है तथा बिना लेन–देन के कोई कार्य नही करता है तथा यह भी बताया कि एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा विगत काफी दिनों से बेगू क्षैत्र में पदस्थापित है तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के मार्फत राजस्व के प्रकरणों में पक्षकारों के पक्ष में फैसला देने की एवज में अवैध रिश्वत राशि प्राप्त करने का गौरख धंधा कर रहे है एवं मुखबीर खास ने श्री शम्भूलाल धाकड के हुलिये से भी अवगत कराया । उक्त सूचना का सत्यापन करने हेतु उक्त मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाकर उनके निर्देशानुसार उपखण्ड कार्यालय बेंगू में आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही दिनांक 16.03.2022 को की गई । उक्त आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही से मुखबीर खास द्वारा दी गई सूचना का सत्यापन होना पाया गया । उक्त कार्यवाही में पाया गया कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू जिला चित्तौडगढ में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 45/06 घोषणात्मक डिक्री शीघ्र जारी कराने की एवज में श्री शम्भू लाल धाकड़ से 03 लाख रूपये की रिश्वत राशि श्री मोहम्मद असलम सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौडगढ के मार्फत ग्रहण करते हुए श्री मोहम्मद असलम सहायक प्रशासनिक अधिकारी की टेबल की प्रथम एवं द्वितीय दराज में रखवाना, जहां से रिश्वत राशि 03 लाख रूपये दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद होना पाई गई। उक्त संदिग्ध राशि के बार में सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहम्मद असलम कुरैशी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ग्राम हरिपुरा के श्री चारभुजा मन्दिर से सम्बन्धित वाद नम्बर 45/2006 के शीघ्र निस्तारण/निर्णय देने की एवज में 03 लाख रूपये रिश्वत राशि श्री शम्भूलाल धाकड से एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा ने ग्राम हरिपुरा के श्री शम्भूलाल धाकड से प्राप्त कर मेरी टेबल की दराजों में रखवाये है। इस प्रकार मौके पर एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा को तलब किया गया तथा संदिग्ध राशि 03 लाख के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो उसने उक्त राशि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया अनभिज्ञता जाहिर की जिस पर मौके पर श्री मोहम्मद असलम कुरैशी ने स्वतः ही एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा की उक्त बात का खण्डन करते हुए बताया कि उक्त 03 लाख रूपये की राशि एस.डी.एम. श्री मुकेश कुमार मीणा ने श्री शम्भूलाल धाकड से रिश्वत राशि के रूप में प्राप्त कर मन्दिर के वाद/प्रकरण का शिघ्र निस्तारण करने की एवज में प्राप्त किये है। इसी प्रकार ज्ञात हुआ कि उक्त कार्यवाही की भनक तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर को लग जाने से वह

मौके से फरार हो गया। श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी तहसील कार्यालय बेगूं में पदस्थापित होकर रजिस्ट्री बाबू का भी चार्ज है, जो तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर के अधीनस्थ कर्मचारी होकर रिश्वत राशि उसके कब्जे से प्राप्त होने के कारण तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर की संलिप्तता के बगैर भ्रष्टाचार किया जाना सम्भव नहीं होने के कारण तहसीलदार श्री रामधन गुर्जर की भूमिका भी उक्त प्रकरण में पूर्णतया संदिग्ध है जो अनुसंधान का विषय है। उक्त रिश्वत राशि 03 लाख रूपये श्री मोहम्मद असलम कुरैशी के कब्जे से बरामद होने से उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ व श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ के विरूद्ध इनके बेगूं उपखण्ड में पदस्थापन के दौरान किए जा रहे भ्रष्ट क्रिया–कलापों के संबंध में परिवाद प्राप्त हुए, उनमें अंकित आरोपों के संबंध में भी गहन अनुसंधान किया जायेगा। इस प्रकार उक्त तीनों आरोपीगण श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ व श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेगूं जिला चित्तोड़गढ़ एवं श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कम रजिस्ट्री बाबू तहसील कार्यालय बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा एक लोकसेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों को दुरूपयोग करते हुए आपसी मिलीभगत कर वैध कार्यो की एवज में अवैध पारितोषण प्राप्त कर एक दिवसीय चेक पिरीयड अवधि दिनांक 16.03.2022 को उत्कोचस्वरूप 03 लाख रूपये आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करन से उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (बी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 एवं 120बी. आई.पी.सी. का अपराध कारित करना पृथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है ।

अतः आरोपीगण (1) श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगु जिला चित्तौडगढ (2) श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेंगु जिला चित्तौडगढ एवं (3) श्री मोहम्मद असलम कुरैशी सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कम रजिस्ट्री बाबू कार्यालय तहसीलदार बेंगू जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (बी.), 13 (2) पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018 एवं 120बी. आई.पी.सी. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन मुख्यालय पर प्रेषित है।

भवदीय,

(डॉ. विक्रम सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
चित्तौड़गढ़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ0 विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 13 (1) (बी), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी. भादंसं में आरोपीगण (1) श्री मुकेश कुमार मीणा, उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगु, जिला चित्तौडगढ़ (2) श्री रामधन गुर्जर, तहसीलदार, तहसील बेंगु, जिला चित्तौड़गढ़ एवं (3) श्री मोहम्मद असलम कुरैशी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कम रजिस्ट्री बाबू, कार्यालय तहसीलदार बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 93/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 824-29 दिनांक 21.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल अजमेर।
5. जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

21.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।